समाहरणालय, मधेपुरा।
(विधि शाखा)
कार्यालय आदेश

विधि पदाधिकारी, (बिहार स्टेट लिटिगेशन सेल), बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-3679/जे0, दिनांक 10.06.2015 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य सरकार के विरूद्ध लंबित मामले में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका 2 (4) (C) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य निम्नवत होंगे :-

1. जिला पदाधिकारी, मधेपुरा -	अध्यक्ष
2. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा-	सदस्य सचिव
3. लोक अभियोजक, मधेपुरा-	सदस्य
4. सरकारी वकील, मधेपुरा-	सदस्य
5. विभागीय कार्यालय प्रधान (सभी विभाग)-	सदस्य

वैसे सभी मामले जिसमें राज्य सरकार पक्षकार है, की समीक्षा कर यह प्रयास किया जायेगा कि इन सभी मामलों में प्रतिशपथ-पत्र /कारण पृच्छा ससमय संबंधित न्यायालयों में दाखिल किया जा सके। प्रत्येक माह के द्वितीय मंगलवार को सभी विभागों के लंबित मुकदमों की समीक्षा हेतु उक्त समिति की बैठक आयोजित होगी, जिसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह०/-
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक : सं0सं0 1107 /विधि0, मधेपुरा, दिनांक 08/08/15

प्रतिलिपि : जिला स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

08/8/2015
जिलाधिकारी,
मधेपुरा।